मध्यप्रदेश विधान सभा

(षोडश विधान सभा)

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

का

अष्टम् प्रतिवेदन

(अगस्त, 2021 सत्र, भाग – 1)

(यह प्रतिवेदन अनुसूचित जाति कल्याण, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, जनसंपर्क, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, नर्मदा घाटी विकास, परिवहन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, वाणिज्यिक कर, विमानन एवं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभागों के आश्वासनों से संबंधित है)

(यह प्रतिवेदन दिनांक 18.03.2025 को सदन में प्रस्तुत.)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृष्ठ संख्या (3)
1.	समिति का गठन	एक
2.	प्रस्तावना	दो
3.	प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची	तीन
4.	विभागों के नाम:-	
	(1) अनुसूचित जाति कल्याण	1
	(2) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	2-3
	(3) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	4
	(4) कुटीर एवं ग्रामोद्योग	5
	(5) जनसंपर्क	6
	(6) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	7
	(7) नर्मदा घाटी विकास	8-9
	(8) परिवहन	10-11
	(9) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	12
	(10) वाणिज्यिक कर	13-15
	(11) विमानन	16
	(12) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम	17-18
5.	परिशिष्ट ''अ'' (आश्वासन क्रमांक 2 से संबंधित)	19
6.	परिशिष्ट ''ब'' (आश्वासन क्रमांक 56 से संबंधित)	20

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति का गठन
(वर्ष 2024-25)

सभापति

1. श्री हरिशंकर खटीक

सदस्यगण

2. श्री सुदेश राय
3. श्रीमती गायत्रीराजे पंवार
4. श्री मनोज निर्भयसिंह पटेल
5. श्री रमेश प्रसाद खटीक
6. श्री प्रदीप पटेल
7. श्रीमती मनीषा सिंह
8. श्री गौरव सिंह पारधी
9. श्री फूलसिंह बरैया
10. श्री विक्रान्त भूरिया
11. श्री दिनेश गुर्जर

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री ए.पी.सिंह	. .	प्रमुख सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	. .	सचिव
3.	श्री वीरेन्द्र कुमार	. .	अपर सचिव
4.	श्री नरेन्द्र मिश्रा	. .	अवर सचिव
5.	श्रीमती कुन्दा जाम्भुलकर	. .	अनुभाग अधिकारी
6.	श्रीमती रोशनी उईके	. .	सहायक ग्रेड-3.

प्रस्तावना

- मैं, शासकीय आश्वासनों सम्बन्धी समिति का सभापति, समिति की ओर से प्राधिकृत होकर समिति का **अष्टम् प्रतिवेदन (भाग-1)** (षोडश विधान सभा) सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं ।

- यह समिति मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 224(1) के अन्तर्गत 16 अगस्त, 2024 को गठित की गई है ।

- इस प्रतिवेदन में, **अगस्त 2021 सत्र (भाग-1)** में माननीय मंत्रीगणों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही का परीक्षण कर विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव का मौखिक साक्ष्य लिया गया तथा विचारोपरांत आश्वासनों को प्रतिवेदन में सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया एवं उस पर समिति की अभ्युक्ति दी गई है ।

- समिति की बैठक **दिनांक 17.03.2025** में समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार कर अंगीकृत किया गया ।

- समिति के सभी माननीय सदस्यों का मैं व्यक्तिगत रूप से भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका सहयोग मुझे प्रत्यक्ष रूप से मिला है ।

- समिति, प्रतिवेदन में सम्मिलित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने यथासमय विभागीय कार्यवाही एवं जानकारी प्रेषित कर सहयोग प्रदान किया ।

- समिति, विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने समिति के कार्य में निरंतर सहयोग प्रदान किया ।

भोपाल :

दिनांक : 17.03.2025

हरिशंकर खटीक
सभापति,
शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

प्रतिवेदन में सम्मिलित विभागवार आश्वासनों की सूची

क्र.	विभाग का नाम	आश्वासन क्रमांक
1.	अनुसूचित जाति कल्याण	1
2.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	2, 3, 90
3.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	91
4.	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	242
5.	जनसंपर्क	55
6.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	54
7.	नर्मदा घाटी विकास	56, 57
8.	परिवहन	184
9.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण	185
10.	वाणिज्यिक कर	85, 150
11.	विमानन	86
12.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	87

अगस्त, 2021 सत्र

(1) अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	**1**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.110) दिनांक: 09/08/2021 (श्री लखन घनघोरिया,)	जबलपुर जिले के अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य एवं विकास कार्य कराये जाने के लिये भूमि आवंटन अभिलेख पत्र प्रदाय कराना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	अनुसूचित जाति बस्ती विकास योजना अंतर्गत कुल बजट की 80 प्रतिशत राशि जिलों की अनुसूचित जाति की आबादी के मान से जिलों को आवंटित की जा रही है। जिले में प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में गठित कमेटी प्राथमिकता से योजना के नियमों के तहत कार्यों का चयन करती है। जबलपुर जिले को योजना अंतर्गत नियमित रूप से राशि जारी की जा रही है, वर्ष 2020-21 में राशि रू. 147.28 लाख तथा 2021-22 में राशि रू. 73.65 लाख जारी की गई है। यह प्रक्रिया निरंतर प्रचलित है तथा जिले की अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में नियमित रूप से कार्य स्वीकृत किए जा रहे है। जबलपुर जिले में स्वीकृत समस्त 08 छात्रावासों के लिए आवश्यक भूमि का चयन किया जाकर कार्य आरंभ करा दिए गए हैं। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 21/02/2023	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त , 2021 सत्र

(2) उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2)	2	अतारांकित प्रश्न सं.90 (प्रश्न क्रं.424) दिनांक: 09/08/2021 (श्री राकेश मावई,)	भ्रष्टाचार के दोषी आयुक्त उद्यानिकी श्री मनोज कुमार अग्रवाल की प्रतिनियुक्ति समाप्त किये जाने के संबंध में कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक ई-1/266/2021/5/एक दिनांक 18 दिसम्बर 2021 द्वारा श्री मनोज कुमार अग्रवाल आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी की प्रतिनियुक्ति समाप्त कर उनकी सेवायें वन विभाग को लौटाई गई है। **संलग्न परिशिष्ट ''अ''अनुसार।** **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 21/06/2022	कोई टिप्पणी नहीं.
(3)	3	अतारांकित प्रश्न सं.102 (प्रश्न क्रं.454) दिनांक: 09/08/2021 (श्री बापूसिंह तंवर,)	राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र के किसानों को उद्यानिकी संबंधी बागवानी/ फलोद्यान/ सब्जी उत्पादन की तकनीकी जानकारी देने हेतु कार्यशाला/ सेमीनार आयोजित करने के संबंध में कार्यवाही की जाना।	उत्पादन की तकनीकी जानकारी हेतु माह सितम्बर 2021 में कार्यशाला आयोजित की जायेगी।	राजगढ विधान सभा क्षेत्र के किसनों को उद्यायानिकी संबधी बागवन/फलोदयान/सबजी उत्पादन की तकनीकी जानकारी देने हेतु दिनांक 17.11.2021 को कृषि विज्ञान केंन्द्र में कार्यशाला आयोजित की गई है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 21/06/2022	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(4)	**90**	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.200) दिनांक: 23/02/2021 (श्री विनय सक्सेना,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 10/08/2021	प्रदेश में मल्चिंग फिल्म के वितरण में घोटाला एवं अनियमितता की प्राप्त शिकायतों में जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	इंदौर संभागायुक्त द्वारा अपनी रिपोर्ट में संबंधित एजेंसी तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की है।	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा जांच प्रतिवेदन के अनुसार कंपनियों को दोषी पाये जाने पर उनके पत्र दिनांक 26-07-2021 द्वारा मेसर्स ज्योति इंटर प्राइसेस इंदौर एवं पत्र दिनांक 27-07-2021 मेसर्स एस. बी पाली प्रोडक्ट ,रायपुर पर दंडात्मक कार्यवाही की गई है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 07/06/2022 Query **Date :** 28/07/2022 : प्रकरण में दंडात्मक कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। **अद्यतन जानकारी:-** मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम द्वारा जांच प्रतिवेदन के पत्र दिनांक 26.07.2021 द्वारा मेसर्स ज्योति इन्टरप्राईजेस इन्दौर एवं पत्र दिनांक 27.07.2021 द्वारा मेसर्स एस.बी. पॉली प्रोडक्ट की धरोहर राशि जब्त कर अनुबंध निरस्त कर आगामी 02 वर्षों के लिये कार्य से वंचित कर दण्डात्मक कार्यवाही की गई है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 19/06/2023	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(3) औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(5)	91	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.54) दिनांक: 09/03/2021 (श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 10/08/2021	दमोह जिला अंतर्गत नरसिंहगढ़ माईसेम सीमेन्ट फैक्ट्री में लापरवाहियों की प्राप्त जानकारी में शासन को हानि की प्राप्त शिकायतों में जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त सीमेंट संयंत्र के विरूद्ध 5.50 करोड़ रूपये की खनिज राजस्व राशि बकाया पाई गई, जिसकी वसूली हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।	खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार माईसेम सीमेंट फैक्ट्री के द्वारा बकाया राशि रू. 5.50 करोड़ जमा की जा चुकी है। आश्वासन अनुरूप कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-**13/04/2022 05:43:43 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(4) कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(6)	242	अतारांकित प्रश्न सं.151 (प्रश्न क्र.1158) दिनांक: 12/08/2021 (श्री हर्ष यादव,)	रेशम संचालनालय के सीहोर/होशंगाबाद /बालाघाट/मंडला/ बैतूल/ सारंगपुर/विदिशा एवं गुना जिलों में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021 तक आवंटित बजट में आवंटित राशि की गलत स्वीकृति जारी करने के दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।	रेशम संचालनालय के सीहोर, नर्मदापुरम, बालाघाट, मण्डला, बैतूल, सारंगपुर, विदिशा एवं गुना जिलों में वर्ष 2015-16 से वर्ष 2021 में जारी स्वीकृति के संबंध में सदन को तत्समय विधानसभा मानसून सत्र अवधि 2021-22 में उत्तर प्रस्तुत किया गया था कि सभी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं की गई है। ऐसी गलत स्वीकृतियां जारी करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। म0प्र0 शासन कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयुक्त रेशम को निर्देशित किया गया कि उक्त संबंधी जारी स्वीकृतियों की जांच कर दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही कर अवगत करायें। संचालनालय द्वारा परीक्षण में पाया गया कि जिला रेशम अधिकारी सीहोर, बालाघाट, मण्डला, बैतूल, सारंगपुर, विदिशा एवं गुना जिलो कि स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है। जिला रेशम अधिकारी, नर्मदापुरम द्वारा जारी स्वीकृतियों के संबंध में परीक्षण करने हेतु जिला रेशम अधिकारी, नरसिंहपुर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। समिति के जांच प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि जिला रेशम अधिकारी, नर्मदापुरम द्वारा जारी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी की गई है। विधानसभा आश्वासन क्रमांक 242 के अनुपालन में समस्त जिलों की जांच करा ली गई है तथा उक्त जिलो से संबंधित सभी स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी की गई है। अतः संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 08/07/2022 05:37:37 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(5) जनसंपर्क विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(7)	55	अतारांकित प्रश्न सं.43 (प्रश्न क्रं.492) दिनांक: 10/08/2021 (श्री हर्ष विजय गेहलोत,)	मध्यप्रदेश माध्यम की विभिन्न शाखाओं द्वारा वर्ष 2020-21 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन बनाये जाने की कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	मध्यप्रदेश माध्यम की विभिन्न शाखाओं द्वारा वर्ष 2020-21 का वार्षिक लेखा प्रतिवेदन तैयार किया गया है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 29/09/2022 01:20:45 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(6) धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(8)	54	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.136) दिनांक: 10/08/2021 (श्री लाखन सिंह यादव,)	(1) जिला ग्वालियर तहसील ऑतरी के ग्राम कछौआ के मंदिर के पुजारी द्वारा मंदिर की जमीन को बटाई में दिये जाने की जांच कराई जाना। (2) बटाई में जमीन देने के पश्चात् जो पैसा मिलता है, उसे मंदिर के खर्चे में करके स्वयं ड्रिंक और पार्टियों में खर्च करने के संबंध में प्रमाण एकत्रित करने की कार्यवही की जाना एवं पुजारी को मंदिर से हटाये जाने की कार्यवाही की जाना ।	(1) **मानननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश :-** (i)आपके पास जो प्रमाण है, सारे के सारे प्रमाण मंत्री जी को दे दीजिये वह देख लेंगी। (ii) मंत्री जी, यह जो प्रमाण दें, उसको एक बार दिखवा लीजिये और आप विधायक जी के साथ बैठ जाइये। (2) **माननीय विभागीय मंत्री :-** आपकी आज्ञा का पालन होगा।	माननीय विधायक से कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज प्राप्त नही हुए है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 13/12/2021 01:23:44 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(7) नर्मदा घाटी विकास विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(9)	**56**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.82 (प्रश्न क्रं.819) दिनांक: 10/08/2021 (श्री संजय यादव,)	रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना की बांयी तट नहर की शहपुरा माइनर नहर निर्माण में निर्माण एजेंसी द्वारा कार्य में तकनीकी कमी रखने की त्रुटि के संबंध में एजेंसी के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।	शहपुरा तहसील अंतर्गत शहपुरा माइनर नहर का रूपांकित सेक्शन, जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 09.02.2021 के अनुसार अपूर्ण रहने से पानी निचले स्तर तक नहीं पहुंच सका। उक्त कार्य का संपादन निविदा ऐजेन्सी के माध्यम से वर्ष 2002-03 में किया गया था, परन्तु कार्य में पायी गई उक्त तकनीकी कमी के कारण एजेन्सी के देयकों से राशि रू. 5.95 लाख काटकर कार्यवाही की गई है।वर्तमान स्थिति में शहपुरा वितरण नहर के ढलान आदि का सुधार कार्य कर दिनांक 03.10.2021 में अंतिम छोर तक पानी पहुंचाया गया है एवं माननीय विधायक द्वारा अपने पत्र क्रमांक 057/भोपाल/2021 दिनांक 28.10.2021 द्वारा यह लेख किया गया है कि उनके द्वारा कृषकों के साथ स्थल का भ्रमण किया गया।अंतिम छोर तक पानी पहुँचने से कृषकों में हर्ष व्याप्त है। प्रश्न क्रमांक 806 (जिससे तारांकित प्रश्न क्रमांक 819 दिनांक 10.08.2021) उद्‌भूत हुआ है, जिस पर अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। सुलभ संदर्भ हेतु माननीय विधायक के पत्र दिनांक 28.10.2021 **संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार।** **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 31/01/2022 03:39:07 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(10)	57	अतारांकित प्रश्न सं.64 (प्रश्न क्रं.583) दिनांक: 10/08/2021 (श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी,)	खरगोन जिले की भीकनगांव विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत झिरन्या उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्वीकृति दी जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।	झिरन्या माईक्रो उद्वहन सिंचाई योजना की सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 27.09.2021 द्वारा राशि रू. 1387.15 करोड़ एवं प्रस्तावित सिंचाई 39520 हेक्टेयर की जारी की गई है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की 249वीं बैठक दिनांक 12.01.2022 में इस परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 31/01/2022 03:39:07 PM Query **Date :** 06/05/2022 : आश्वासन अनुरूप बैठक में अनुशंसा उपरांत की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। **अद्यतन जानकारी:-** विभाग के आदेश क्रमांक एफ 31-07/2021/सत्ताईस-एक, दिनांक 21.04.2022 द्वारा झिरन्या उद्वहन माईक्रो सिंचाई परियोजना सिंचाई क्षमता 39,520 हेक्टेयर हेतु लागत राशि रू. 1385.73 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 07/07/2022 04:35:18 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(8) परिवहन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(11)	**184**	तारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्र.672) दिनांक: 11/08/2021 (श्री आरिफ मसूद,)	भोपाल परिवहन कार्यालय में श्रीमती अनपा खान ए.आर.टी.ओ.के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जॉंच एवं कार्यवाही की जाना ।	शिकायतों की जांच संभागीय उप परिवहन आयुक्त भोपाल के द्वारा की जा रही है।	माननीय विधायक श्री आरिफ मसूद के तारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 672 से उद्भूत आश्वासन क्रमांक 184 में मूल विधानसभा प्रश्न के प्रश्नांश ''क'' में श्रीमती अनपा खान, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल के विरूद्ध दो शिकायती आवेदन पत्र प्राप्त होना एवम् उनकी जांच क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल के द्वारा की जाना उल्लेखित की गयी है। उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ए अनुसार** है। उक्त दोनों शिकायतों के संबंध में जांचकर्ता अधिकारीं श्री अरूण कुमार सिंह, क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल द्वारा प्रतिवेदन जांच निष्कर्ष निम्नानुसार हैं : - 1. आयकर विभाग सतर्कता नई दिल्ली के पत्र क्रमांक DGIT(V)WZ/FCRO/2249/2021/512 Dated:16-06-2021 के द्वारा शिकायतकर्ता श्री ठाकुर वीर सिंह द्वारा आयकर विभाग को श्रीमती अनपा खान, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय, भोपाल के विरूद्ध प्रेषित शिकायती आवेदन पत्र परिवहन आयुक्त महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये थे। आयकर विभाग ने उक्त पत्र के साथ श्री ठाकुर वीर सिंह द्वारा की गयी शिकायत की **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार** है। 2. इसी प्रकार शिकायतकर्ता श्री मंगल सिंह चौहान, रेहटी (बुधनी) श्री सुरेन्द्र तनवानी, श्री दीपेश विजयवर्गीय, श्री शिवराज सिंह एवं श्री सुरेश कुमार मेहता द्वारा परिवहन आयुक्त मध्यप्रदेश को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकरी, श्रीमती अनपा खान, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी थी। जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-सी अनुसार** है। 3. उक्त दोनों शिकायतों की जांच हेतु परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक-45/निस/शिकायत/टीसी/2021 ग्वालियर दिनांक 28.06.2021 एवम् पत्र क्रमांक 3677/शिकायत/ बी-ईओडब्ल्यू-80/टीसी/2021 ग्वालियर दिनांक 12.07.2021 द्वारा श्री अरूण कुमार सिंह,	कोई टिप्पणी नहीं.

					क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त, भोपाल को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। **प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-डी अनुसार** है। 4. श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा पत्र क्रमांक 235/2022 भोपाल दिनांक 13.09.2022 द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता श्री सैयद शराफत अली नाम के व्यक्ति का अस्तित्व नाम/पद/मोबाइल नम्बर आदि से स्थापित नहीं होता, इस कारणवश जांचकर्ता अधिकारी ने शिकायत को नस्तीबद्ध करने हेतु अनुशंसा की है। प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-डी अनुसार** है। 5. शिकायतकर्ता श्री मंगल सिंह चौहान, रेहटी (बुधनी) श्री सुरेन्द्र तनवानी, श्री दीपेश विजयवर्गीय, श्री शिवराज सिंह, एवं श्री सुरेश कुमार मेहता द्वारा शिकायत में आरोपित तथ्यों की जांच श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा की गयी। जांचकर्ता अधिकारी की ओर से प्राप्त प्रतिवेदन क्रमांक 637/शिकायत /डीटीसी/अन्य/22 दिनांक 28.09.2022 द्वारा शिकायतकर्ता श्री मंगल सिंह चौहान रेहटी (बुधनी) श्री सुरेन्द्र तनवानी, श्री दीपेश विजयवर्गीय, श्री शिवराज सिह एवं श्री सुरेश कुमार मेहता द्वारा दिये गये कथनों एवम् अनावेदक श्रीमती अनपा खान के कथन एवम् अन्य तथ्यों का तुलनात्मक परीक्षण करने पर जांचकर्ता अधिकारी ने उक्त शिकायती आवेदनों को नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा की है। **प्रतिवेदन की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-एफ अनुसार** है। 6. परिवहन आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 60/विजां/टीसी/2023 ग्वालियर दिनांक 05.01.2023 द्वारा लेख किया गया है कि शिकायतों में श्रीमती अनपा खान, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, पदस्थापना क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, भोपाल के विरूद्ध आरोप सुसंगत तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं पाये गये। अतः उक्त दोनों शिकायतों में अनावेदिका श्रीमती अनपा खान, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, भोपाल पर किसी प्रकार की कार्यवाही सुसंगत तथ्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं पायी गई। पत्र की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-जी अनुसार** है। 7. प्रस्ताव पूर्ण विचारोंपरात मान्य करते हुये श्रीमती अनपा खान के विरूद्ध प्रस्तावित अनुशासनात्मक कार्यवाही इसी स्तर पर नस्तीबद्ध की गई है। कार्यवाही पूर्ण । **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 28/02/2024 01:36:33 PM	

अगस्त, 2021 सत्र

(9) पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(12)	**185**	अतारांकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.698) दिनांक: 11/08/2021 (श्री पी.सी. शर्मा,)	मध्यप्रदेश राज्य हज कमेटी में कार्यपालन अधिकारी के स्थान पर तृतीय श्रेणी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	पदस्थापना उपरांत पदमुक्त कर दिया जायेगा।	विभागीय आदेश क्रमांक 241/20/2022/54-2 दिनांक 09.05.2022 द्वारा अन्य सक्षम अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, म0प्र0 वक्फ बोर्ड को सचिव राज्य हज कमेटी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाकर श्री यासिर अराफात को भारमुक्त कर दिया गया है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 07/07/2022 03:55:35 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(10) वाणिज्यिक कर विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(13)	**85**	अतारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्र.516) दिनांक: 10/08/2021 (श्री राहुल सिंह लोधी,)	टीकमगढ़ जिले में एलडस इंडिया प्रायवेट लिमिटेड/पार्टनर्स से शेष रही राजस्व राशि की वसूली की जाना।	कार्यवाही की जा रही है।	टीकमगढ़ जिले के वर्ष 2020-21 के अनुज्ञप्तिधारी एलडस इंडिया प्रा.लि./पार्टनर पर बकाया संबंधी राशि रूपये 12,92,85,508/- थी, जिसमें से राशि रूपये 2,78,32,200/- की वसूली की जा चुकी है। शेष वसूली संबंधी कार्यवाही की जा रही है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 16/12/2021 12:59:07 PM Query **Date :** 21/02/2022: प्रकरण में शेष वसूली की अद्यतन जानकारी। **अद्यतन जानकारी:-** टीकमगढ़ जिले के वर्ष 2020-21 के अनुज्ञप्तिधारी एलडस इंडिया प्रा.लि./पार्टनर पर बकाया राशि रूपये 12,92,85,508/- थी, जिसमें से राशि रूपये 2,78,32,200/- की वसूली की जा चुकी है। अनुज्ञप्तिधारी एलडस इंडिया प्रायवेट लिमिटैड/पार्टनर द्वारा शेष बकाया राशि रूपये 10,14,53,308/- वसूली किये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 19874/2022 दायर की गई है। जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.10.2022 को आदेश पारित कर वसूली पर स्थगन दिया गया है। विशेष अनुमति याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 03/01/2023 10:38:11 AM	कोई टिप्पणी नहीं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(14)	**150**	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.58 (प्रश्न क्रं.6570) दिनांक: 26/03/2021 (श्री लाखन सिंह यादव,) अपूर्ण पटलित दिनांक: 10/08/2021	प्रदेश में जहरीली शराब पीने से हुई मृत्यु के जिम्मेदार शराब माफिया/ आबकारी विभाग के कर्मचारी/ अधिकारी या अन्य दोषियों के विरूद्ध जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	उक्त घटनाक्रम के संबंध में जांच अभी जारी है।	जिला मुरैना में अवैध, जहरीली शराब के सेवन से मृत्यु होने की 01 घटना घटित हुई है, जिसमें कुल 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिनांक 11.01.2021 को घटित घटना में पुलिस के द्वारा 15 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त में से 04 आरोपियों के अवैध निर्मित मकानों को भी जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जमीदोज किया जा चुका है। आबकारी विभाग के तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी श्री जावेद अहमद खान के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया है तथा श्री दिनेश निगम को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई थी। श्री निगम की दिनांक 09.05.2021 को मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरण समाप्त हो गया है।आबकारी विभाग के तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी श्री जावेद अहमद खान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 16/12/2021 11:43:19 AM Query **Date :** 21/02/2022 : प्रकरण में जिला आबकारी अधिकारी श्री जावेद अहमद खान के विरूद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही की अद्यतन जानकारी। **अद्यतन जानकारी:-** जिला मुरैना में अवैध, जहरीली शराब के सेवन से मृत्यु होने की 01 घटना घटित हुई है, जिसमें कुल 25 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। दिनांक 11.01.2021 को घटित घटना में पुलिस के द्वारा 15 व्यक्तियों के विरूद्ध प्रकरण कायम कर आरोपियों को गिरफतार कर जेल भेजा जा चुका है। उक्त में से 04 आरोपियों के अवैध निर्मित मकानों को भी जिला प्रशासन मुरैना द्वारा जमीदोज किया जा चुका है। आबकारी विभाग के तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी श्री जावेद अहमद खान के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया है तथा श्री दिनेश निगम को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच संस्थित की गई थी। श्री निगम की दिनांक 09.05.2021 को मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरण समाप्त हो गया है।	कोई टिप्पणी नहीं.

					श्री जावेद अहमद खान तत्कालीन प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी, जिला मुरैना द्वारा दिनांक 22.03.2021 को प्रस्तुत जवाब पूर्णत: विचारोपरांत अमान्य किया जाकर, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-10 (4) के अंतर्गत दण्डित करते हुये, एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर उसके समतुल्य राशि की वसूली अपचारी अधिकारी से एक मुश्त की जाना आदेशित किया गया है। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 29/08/2022 04:32:37 PM	

अगस्त, 2021 सत्र

(11) विमानन विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(15)	**86**	अतारांकित प्रश्न सं.32 (प्रश्न क्रं.357) दिनांक: 10/08/2021 (श्री मनोज चावला,)	ग्वालियर के महाराज एयरबेस पर दुर्घटनाग्रस्त हुये विमान VT-MPQ में भरी सामग्री के नुकसान की जांच की कार्यवाही पूर्ण की जाना।	जांच की कार्यवाही प्रचलन में है।	दुर्घटनाग्रस्त विमान में भरी हुई सामग्री का कोई नुकसान नहीं हुआ। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 21/07/2023 03:11:57 PM	कोई टिप्पणी नहीं.

अगस्त, 2021 सत्र

(12) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग

सरल क्र.	आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा दिया गया उत्तर	समिति की अनुशंसा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(16)	87	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.79 (प्रश्न क्रं.804) दिनांक: 10/08/2021 (श्री बहादुर सिंह चौहान,)	उज्जैन जिले की महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में शुगरमिल की स्थापना की जाना ।	कार्यवाही प्रचलन में है ।	(1) दिनांक 01.07.2021 को, परिसमापक सहकारिता विभाग से भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। (2) औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सर्वे एवं डिमार्केशन कार्य के लिये राशि रूपये 5.91 लाख की स्वीकृति दिनांक 25.08.2021 को जारी की जा चुकी है। (3) औद्योगिक क्षेत्र का अभिन्यास अनुमोदन हेतु संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालय उज्जैन को प्रेषित किया गया हैं। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 09/12/2021 02:29:04 PM Query **Date :** 21/02/2022: प्रकरण में शुगरमिल की स्थापना किये जाने हेतु आगामी कार्यवाही की अद्यतन जानकारी । **अद्यतन जानकारी:-** प्रकरण में शुगर मिल की स्थापना नही की जाना है, वस्तुतः शुगर मिल की भूमि पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहां है। जिसमें राशि रूपये 5.91 लाख से सर्वे डिमार्केशन कार्य उपरांत औद्योगिक क्षेत्र का अभिन्यास स्वीकृत हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास कार्य हेतु दिनांक 04.02.2022 को राशि रूपये 38.25 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।	कोई टिप्पणी नहीं.

					विभाग के नियम मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 के प्रावधान अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को उनकी इकाई स्थापित करने हेतु भूमि का आवंटन किया जायेगा। **ऑनलाईन प्राप्त विभागीय जानकारी** **दिनांक :-** 14/03/2022 02:44:29 PM	

भोपाल :

दिनांक : 17.03.2025

हरिशंकर खटीक

सभापति,

शासकीय आश्वासनों संबंधी समिति

आश्वासन क्रमांक - 2

परिशिष्ट - "अ"

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
/आदेश/

क्रमांक ई–1/266/202 /5/एक — भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2021

श्री मनोज कुमा अग्रवाल, भावसे (1993), आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती हैं।

2/ डॉ. ई. रमेश कुमार, भाप्रसे (1999), आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ–साथ अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
इकबाल सिंह बैंस
मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश शासन

क्रमांक ई–1/266/2021/5/एक — भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर, 2021

प्रतिलिपि :–

1. संस्थापन अधिकारी, भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
2. रिसर्च आफीसर, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।
3. अपर मुख्य सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन/उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण/सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग। अनुरोध है कि उक्त आदेश के अनुक्रम में श्री मनोज कुमार अग्रवाल के संबंध में परिणामी आदेश जारी करने का कष्ट करें।
6. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
8. विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग।
9. आवासीय आयुक्त, मध्य प्रदेश भवन, नई दिल्ली।
10. विशेष आयुक्त (समन्वय), मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली।
11. आयुक्त–सह–संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
12. आयुक्त, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13. संबंधित अधिकारीगण।
14. महालेखाकार, आडिट- I/ II/निधि–14, मध्य प्रदेश ग्वालियर।
15. उप सचिव (लेखा), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, कक्ष–6/7(3)/2।
16. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना)। उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
18. संचालक, संपदा संचालनालय, भोपाल।/कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन, भोपाल।
19. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेंटर, ग्राउंड फ्लोर मंत्रालय, भोपाल।
20. अवकाश पटल/प्रभारी ई–ऑफिस, मंत्रालय, भोपाल।
21. नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्य प्रदेश भोपाल को अगले राजपत्र में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

18/12/21
(जितेन्द्र सिंह चौहान)
उप सचिव, "कार्मिक"
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

आश्वासन क्रमांक - 56 पं. 2019

परिशिष्ट-"ब"

संजय यादव
विधायक
विधान सभा क्षेत्र क्रं. 96 बरगी
जिला जबलपुर (म.प्र.)

भोपाल नि. : ... चार इमली, भोपाल (म.प्र.)
फोन : 0755 2442114
जबलपुर नि. : 9, भाग्य गोपाल मंगलम्, शर्थीताल कालोनी, जबलपुर (म.प्र.)
मो. नं. : 98939 46089
94251 54189

क्रमांक

पत्र क्र.- 057/भोपाल/2021

दिनांक
दि. - 28.10.021

प्रति,

उप-सचिव/ अवर सचिव
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मत्रालय, वल्लभ भवन
भोपाल

2516
28/10/2021

महोदय,

मेरे द्वारा विधान सभा प्रश्न क्र0 806 दिनांक 17.12.2019 के अंतर्गत संदर्भ समिति को शहपुरा माइनर नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुंचने की एवं नहर के तकनीकी त्रुटियों को ठीक किये जाने की मंशा से दिनांक 18.12.2019 को पत्र लिखा गया था ।

रानी अवंती बाई लोधी सागर परियोजना के फील्ड अधिकारियों द्वारा प्रारंभिक तौर पर इंगित ढाल आदि ठीक कराते हुए दिनांक 3.10.2021 को अवगत कराया कि पर्याप्त मात्रा में पानी अंतिम छोर तक पहुंच गया है जिसे मेरे द्वारा एवं अन्य कृषकों के साथ भ्रमण कर लिया गया है । अंतिम छोर तक पानी पहुचने से कृषकों में हर्ष व्याप्त है ।

मैं चाहता हूं कि विधान सभा प्रश्न क्र0 806 के अंतर्गत पश्चातवर्ती कार्यवाही की अब आवश्यकता नहीं है ।

28/10

भवदीय

संजय यादव

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
नर्मदा घाटी विकास विभाग
मत्रालय भोपाल

कार्यालय : सिवनी टोला, चरगँवा रोड, जबलपुर (म. प्र.)
286/1, नर्मदा काम्पलेक्स, छोटी लाईन फाटक, नागपुर रोड, जबलपुर (म. प्र.)
E-mail : syadavjabalpur@gmail.com

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल—2025.